न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2022 G.C.M.S. No. 2022/85 दर्ज दिनांक : 13.04.2022

अपीलार्थिगण:

1. जयकरण पुत्र स्वर्गीय डूंगरदान, उम्र 71 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली।
2. बलवंतसिंह पुत्र स्वर्गीय डूंगरदान, उम्र 67 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

मृतक शेषकरण पुत्र सांवलदान, चारण, निवासी ग्राम रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली के कायम मुकाम:–

1. मोहनकंवर पत्नि स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 90 वर्ष
2. गोविंदसिंह पुत्र स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 69 वर्ष
3. गुमानसिंह पुत्र स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 67 वर्ष
4. गजेसिंह पुत्र स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 65 वर्ष
5. कैलाशदान पुत्र स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 61 वर्ष
6. भवानीसिंह पुत्र स्वर्गीय शेषकरण, उम्र 55 वर्ष, जातिगण चारण, निवासी ग्राम रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली।
7. कंचनकंवर पुत्री स्वर्गीय शेषकरण पत्नि वासुदेव, उम्र 52 वर्ष, जाति चारण, निवासी रलावता, तहसील डेगाना, पोस्ट राजलोता, जिला नागौर, राजस्थान।
8. उछबकंवर पुत्री स्वर्गीय शेषकरण पत्नि मोहनसिंह, उम्र 71 वर्ष, जाति चारण, निवासी ग्राम आगेवा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी पाली द्वारा कैम्प रूपावास में पारित बनाराजगी नियमन आदेश दिनांक 01.06.1972 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं धारा 96 सीपीसी

पैरोकार:–

1. श्री झूंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री इमरान खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 27.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी पाली द्वारा कैम्प रूपावास में पारित बनाराजगी नियमन आदेश दिनांक 01.06.1972 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलाण्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 642 एवं 642/2 सरहद मौजा ग्राम–रूपावास पर आने–जाने एवम कृषि यंत्र लाने व ले जाने बाबत एकमात्र रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। जिसका उपयोग व उपभोग अपीलाण्टगण अपने मृतक पिता डूंगरदानजी के जीवनकाल से लगातार आज दिन तक कदीम से उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं और इस रास्ते की भूमि पर रेस्पोंडेण्टगण का तथा मृतक शेषकरण पुत्र श्री सांवलदानजी का कोई हक, स्वत्व एवं अधिकार न तो था एवं न ही आज भी हैं। परन्तु मृतक शेषकरणजी द्वारा बाला–बाला अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि का जैर अपील आदेश के जरिये नियमन दिनांक 01.06.1972 को करवाकर उक्त भूमि मृतक शेषकरणजी द्वारा अपने नाम से बतौर खातेदारी के दर्ज करवा दी गई जबकि कानूनन आम रास्ते की भूमि का कोई नियमन या आवंटन नहीं हो सकता है और न ही कानूनन आम रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में कोई खातेदारी अधिकार ही प्रदान किये जा सकते हैं और न ही वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अपीलाण्टगण को आने–जाने से ही रोका जा सकता है। परन्तु जैर अपील आदेश दिनांक 01.06.1972 के द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा वादग्रस्त आम रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 सरहद मौजा ग्राम–रूपावास, तहसील–पाली, जिला–पाली को नियमन करने के आदेश बिना जांच किये और बिना अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर दिये तथा रेस्पोंडेण्ट तहसीलदार, पाली द्वारा उक्त गैरकानूनी तथा विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश दिनांक 01.06.1972 की पालना में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 596 के मृतक शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि का बिना जांच किये और बिना अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करके राजस्व रेकर्ड में बारानी अव्वल इन्द्राज कर दिया गया है। उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करके राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने के आदेश शून्य **void ab initio** होते हुए भी फैसले के आधार पर कर दिया गया है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टगण को नहीं थीं, जिससे जैर अपील आदेश काबिल निरस्त योग्य है। विधि विरूद्ध तरीके से भरे गये म्युटेशन संख्या 596 की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील नियमन आदेश की नकल प्राप्त करने बाबत प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.08.2021 को नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी, पाली के न्यायालय से नकल प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पत्रावली ढूंढ़ने पर नहीं मिलना बताया गया तथा नकल फॉर्म पर उक्त नोट लगाया जाकर दिनांक 14.09.2021 के फॉर्म की प्रमाणित प्रतिलिपि दी गई, जिस पर दिनांक 12.06.1972 के पत्र की नकल की प्रति दिनांक 17.02.2022 को नियमानुसार प्राप्त की गई, जिसमें मृतक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का नियमन करने का हवाला दिया गया है जो साफ तौर से पठनीय नहीं हैं तथा म्युटेशन की नकल दिनांक 22.02.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 24.02.2022 को उपलब्ध हुई तथा हल्का पटवारी से वर्तमान नक्शे की नकल दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त हुई तथा जमाबन्दी की नकलें दिनांक 23.02.2022 को एवं 04.03.2022 को प्राप्त हुई। साथ ही म्युटेशन संख्या 596 की नकल प्राप्त करने पर उसमें भी शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज बतौर खातेदार के होना पाया गया जो जैर अपील आदेश के जरिये विधिविरूद्ध इन्द्राज पाया गया है और अपने स्तर पर तहसीलदार द्वारा भूमि की किस्म बारानी अव्वल कर दी गई हैं। इस प्रकार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिये अर्जित या धारित भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इसकी जानकारी उपखण्ड अधिकारी, पाली एवं तहसीलदार, पाली को होते हुए भी विधि के आज्ञापक नियमों को अनदेखा किया जाकर वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का नियमन रेस्पोंडेण्टगण के मृतक पति व पिता शेषकरण पुत्र श्री सांवलदानजी के नाम करने में तथा खातेदारी अधिकार देने में भारी विधिक भूल की गई हैं। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 143 आम रास्ते की भूमि है जो अपीलाण्टगण एवम् रेस्पोंडेण्टगण एवं अन्य पड़ोसी काश्तकारों के खेतों में आने–जाने के उपयोग में आती हैं और जिसका उपयोग व उपभोग अपीलाण्टगण को करने का कानूनी अधिकार है और गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं हैं। साथ ही हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्टगण को नहीं थीं। रेस्पोंडेण्ट गुमानसिंह द्वारा अपीलाण्ट जयकरण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने वाले एकमात्र रास्ते को दिनांक 17.08.2021 को अवरूद्ध करने की कोशिश करने पर अपीलाण्ट जयकरण द्वारा गुमानसिंह से शिकायत करने पर गुमानसिंह द्वारा यह कहा गया कि वादग्रस्त रास्ते की भूमि उसके मृतक पिता शेषकरणजी के नाम की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा विधिक सलाहकारों से सलाह कर राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाने बाबत दिनांक 17.08.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जैर अपील आदेश की नकल नहीं होना बताया गया। जिस पर प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने बाबत पुनः नियमानुसार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 14.09.2021 को प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र प्राप्त की नकल उपलब्ध करवाई गई उसके बाद कोरोना महामारी के कारण सरकारी कार्यालय में कार्य नहीं होने से दिनांक 12.06.1972 के पत्र की नकल की प्रति दिनांक 17.02.2022 को नियमानुसार प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

की गई तथा म्युटेशन की नकल दिनांक 22.02.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 24.02.2022 को उपलब्ध हुई तथा हल्का पटवारी से वर्तमान नक्शे की नकल दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त हुई तथा जमाबन्दी की नकलें दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त हुई, जिसमें मृतक शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का नियमन करने का हवाला दिया गया है। जो साफ तौर से पठनीय नहीं हैं, साथ ही म्युटेशन संख्या 596 की नकल प्राप्त करने पर उसमें भी शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज बतौर खातेदार के होना पाया गया जिस पर प्रथम बार जानकारी हुई हैं। इससे पहले कोई जानकारी अपीलाण्टगण को नहीं थीं। इसलिए हाजा अपील अब पेश की जा रही हैं, जो अन्दर अवधि पेश हैं। साथ ही अपील पत्र के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उपखंड अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 01.06.1972 को रेस्पोंडेंट के पक्ष में किए गए भू–नियमन आदेश विरूद्ध हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं। विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब एवं म्याद का सारवान प्रश्न विद्यमान है। अतः सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना अपेक्षित है।
2. अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में जैर अपील आदेश की जानकारी अपीलाण्टगण को नहीं थीं। रेस्पोंडेण्ट गुमानसिंह द्वारा अपीलाण्ट जयकरण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने वाले एकमात्र रास्ते को दिनांक 17.08.2021 को अवरूद्ध करने की कोशिश करने पर अपीलाण्ट जयकरण द्वारा गुमानसिंह से शिकायत करने पर गुमानसिंह द्वारा यह कहा गया कि वादग्रस्त रास्ते की भूमि उसके मृतक पिता शेषकरणजी के नाम की खातेदारी भूमि है, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा विधिक सलाहकारों से सलाह कर राजस्व रेकर्ड की नकलें निकलवाने बाबत दिनांक 17.08.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

जिस पर जैर अपील आदेश की नकल नहीं होना बताया गया। जिस पर प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने बाबत पुनः नियमानुसार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 14.09.2021 को प्रतिलिपि प्रार्थना–पत्र प्राप्त की नकल उपलब्ध करवाई गई उसके बाद कोरोना महामारी के कारण सरकारी कार्यालय में कार्य नहीं होने से दिनांक 12.06.1972 के पत्र की नकल की प्रति दिनांक 17.02.2022 को नियमानुसार प्राप्त की गई तथा म्युटेशन की नकल दिनांक 22.02.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 24.02.2022 को उपलब्ध हुई तथा हल्का पटवारी से वर्तमान नक्शे की नकल दिनांक 02.03.2022 को प्राप्त हुई तथा जमाबन्दी की नकलें दिनांक 23.02.2022 को प्राप्त हुई, जिसमें मृतक शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का नियमन करने का हवाला दिया गया है। जो साफ तौर से पठनीय नहीं हैं, साथ ही म्युटेशन संख्या 596 की नकल प्राप्त करने पर उसमें भी शेषकरणजी के नाम से वादग्रस्त रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का इन्द्राज बतौर खातेदार के होना पाया गया जिस पर प्रथम बार जानकारी हुई हैं। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील लगभग 50 वर्ष अर्थात लगभग 18250 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा यह भी अंकित किया है कि वह वादग्रस्त आराजीयात का पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग करता आया है तथा वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खेत के पड़ोस में ही स्थित है। अतः अपीलांट द्वारा यह उज्र लेना कि उसे दिनांक 17.08.2021 से पूर्व उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थीं तथा दिनांक 17.08.2021 को रेस्पोंडेंट द्वारा बाधा उत्पन्न करने पर जानकारी हुई। चूंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.1972 को पारित किया गया। अतः दिनांक 01.06.1972 से दिनांक 17.08.2021 की अवधि के मध्य अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी क्यों नहीं हुई, इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई युक्तियुक्त, विश्वसनीय व सद्भाविक कारण दर्शित नहीं किए हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कारण से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि दिनांक 17.08.2021 को अपीलांट को रेस्पोंडेंट गुमानसिंह द्वारा बाधा कारित कर रोका गया हों। क्योंकि अपीलांट प्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई विश्वसनीय कारण दर्शित नहीं किया है। अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण महज मौखिक कथन है। इनके समर्थन में प्रार्थी द्वारा कोई विश्वसनीय आधार व कारण आदि प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विलंब के रूप में दर्शित कारण महज बनावटी व काल्पनिक है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विलंबकाल अपीलांट की उदासीनता व लापरवाही के कारण घटित हुआ है। विलंब के कारण के रूप में दर्शित आधार युक्तियुक्त, सद्भाविक व स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5-condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से **18250 दिवस** का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **18250 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.10.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner